प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2024

विषयः **मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद मथुरा की वि0 स0 क्षेत्र- छाता के ग्राम सांचौली में माँ भगवती सांचौली देवी स्थल के समीप कन्वेंसन सेंटर-03 हॉल का विकास एवं सौन्दर्गीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6893/मु0प0वि0स0यो0/85-मथुरा/2023, दिनांक 26-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद मथुरा की वि0 स0 क्षेत्र- छाता के ग्राम सांचोली में माँ भगवती सांचोली देवी स्थल के समीप कन्वेंसन सेंटर-03 हॉल का विकास एवं सौन्दर्गीकरण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० द्वारा धनराशि रू0 258.96 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासन के शासनादेश संख्या-190/2024/485/41-1-2024-001-CN-1789563-2024, दिनांक 24-02-2024 द्वारा धनराशि रू0 259.13 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (50 प्रतिशत की धनराशि रू0 129.565 लाख पर्यटन विभाग द्वारा तथा 50 प्रतिशत की धनराशि रु० 129.565 लाख विधायक निधि के माध्यम से) एवं राज्य सरकार पर भारित धनराशि रू0 129.565 लाख में से प्रथम किस्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद मथुरा की वि0 स0 क्षेत्र- छाता के ग्राम सांचोली में माँ भगवती सांचोली देवी स्थल के समीप कन्वेंशन सेंटर-03 हॉल का विकास एवं सौन्दर्गीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 258.96 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 24-02-2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1- 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था (को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई- परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर स्र/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(7) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0ई0र0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-12-2018/बी-2-856/दस-2018-2017, दिनांक 15 जून, 2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
8. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6, 7 व 9 को स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल, आगरा।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-71
11. गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।